<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102025-266835 CG-DL-E-10102025-266835

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] No. 303] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 3 अक्तूबर, 2025

सं. 24/2025-26

विषयः वार्षिक आरओडीटीईपी रिटर्न दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/61/180/166/एम24/पीसी—3.—समय—समय पर यथा संषोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक आरओडीटीईपी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, 10,000 रु. के संयोजन षुल्क के साथ 30.11. 2025 तक बढाई जाती है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः निर्यात संवर्धन और व्यापार सुगमता के हित में, वार्षिक आरओडीटीईपी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.09.2025 से बढ़ाकर 30.11.2025 कर दी गई है।

अजय भादू, महादिनेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

6690 GI/2025 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th October, 2025 No. 24/2025-2026

Subject: - Extension of filing Annual RoDTEP Returns-reg.

F. No. 01/61/180/166/AM24/PC-3. —In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the last date of filing Annual RoDTEP Returns for Financial Year 2023-24 with composition fee of Rs 10,000 is extended till 30.11.2025 Effect of this Public Notice: The date for filing of Annual RoDTEP Return (ARR) has been extended from 30.09.2025 to 30.11.2025 in the interest of export promotion and ease of doing business.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addi. Secy.